न्यायालय– अपर सेशन न्यायाधीश, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी – **लक्ष्मण राम बिश्नोई (RJS)**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या – 38/2023, (42/2017)
CIS संख्या – 38/2023
CNR संख्या – RJMR260000852023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 28/2016 पुलिस थाना– जायल, जिला नागौर
अपराध अंतर्गत धारा – 363, 366, 346, 376 भारतीय दण्ड संहिता

भागः– प्रथम
(क)

परिवादी	सीताराम पुत्र हीराराम, निवासी कठौती, तहसील जायल
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	रोशन खान पुत्र हुसैन खान, उम्र–34 साल, निवासी कठौती, पुलिस थाना जायल, जिला नागौर
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री दशरथ सिंह राठौड़

(ख)

घटना की दिनांक	–	दिनांक 04.04.2016 से 2–3 माह पूर्व से लेकर दिनांक 23.01.2017 तक
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	–	06.04.2016
आरोप पत्र पेश करने की दिनांक	–	07.03.2017
अपर सेशन न्यायालय सं.1, नागौर में कमिटल दिनांक	–	21.03.2017
इस न्यायालय में अंतरण दिनांक	–	15.05.2023
आरोप विरचन की दिनांक	–	01.03.2021
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	–	01.03.2021
साक्ष्य समाप्ति की दिनांक	–	03.02.2026
निर्णय सुरक्षित दिनांक	–	–
निर्णय दिनांक	–	30.03.2026
सजा आदेश यदि हो तो, दिनांक	–	–

(ग)
अभियुक्त की सूचना

क्र.स	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहाई की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त/ दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	धारा 428 द.प्र.सं. के तहत समायोजन वास्ते निरुद्ध समयावधि
1	रोशन खान	01.02.2017	24.05.2017	363, 366, 346, 376 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	–	–

भागः– द्वितीय

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय गवाह सूची

कः– अभियोजन गवाह

P.W.	नाम	साक्ष्य प्रकृति
01	डॉ. अलकेन्द्र मोहन सिंह	चिकित्सकीय साक्षी
02	सीताराम	परिवादी
03	भंवरलाल	मौतबीर नक्शा मौका घटनास्थल
04	प्रकाश देवी	गवाह
05	रामदेव	मौतबीर नक्शा मौका घटनास्थल
06	मक्कू	गवाह
07	ममता	गवाह
08	सांवरलाल	फर्द जब्ती अण्डरवियर, फर्द जब्ती फोटोग्राफ्स, फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल, फर्द बरामदगी होटल रजिस्टर व दस्तावेज
09	सुखाराम	फर्द दस्तियाब पीड़िता
10	पीड़िता	पीड़िता
11	जीतूराम	फर्द सुपुर्दगी पीड़िता
12	श्रीवल्लभ	फर्द सुपुर्दगी पीड़िता
13	कैलाशचंद	फर्द जब्ती अण्डरवियर, फर्द जब्ती फोटोग्राफ्स, फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल, फर्द बरामदगी होटल रजिस्टर व दस्तावेज
14	नवाब खान	मालखाना इंचार्ज
15	डॉ. सुदीप चौधरी	चिकित्सकीय साक्षी
16	हेमी	फर्द दस्तियाब पीड़िता
17	कालूराम	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
18	ओमप्रकाश	फर्द दस्तियाब पीड़िता
19	डॉ. विमला चारण	चिकित्सकीय साक्षी
20	बाबूलाल	विधि विज्ञान प्रयोगशाला कैरियर गवाह
21	शिवनारायण	अनुसंधान अधिकारी
22	मनोज माचरा	अनुसंधान अधिकारी

खः– बचाव गवाह

D.W.	नाम	साक्ष्य प्रकृति
–	–	–

गः– न्यायालय गवाह

D.W.	नाम	साक्ष्य प्रकृति
–	–	–

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजी सूची

कः– अभियोजन दस्तावेज सूची

प्रदर्श पी	विवरण	प्रदर्श पी	विवरण
01	पीड़िता की बलात्संग संबंधी मेडिकल रिपोर्ट	14	नक्शा मौका घटनास्थल गांव पारड़ी
02	एफएसएल रिपोर्ट	15	फर्द दस्तियाब पीड़िता
03	गुमशुदगी रिपोर्ट	16	बयान धारा 164 द.प्र.सं. पीड़िता
04	गुमशुदगी सूचना	17 ए	मालखाना रजिस्टर
05	प्रथम सूचना रिपोर्ट	18	मेडिकल रिपोर्ट मुलजिम
06	लिखित रिपोर्ट परिवादी	19	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
07	नक्शा मौका घटनास्थल	20	तहरीर पुलिस अधीक्षक नागौर
08	फर्द सुपुर्दगी पीड़िता	21	एफएसएल प्राप्ति रसीद
09	फर्द बरामदगी पार्चेजात पीड़िता	22 से 24	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
10	फर्द जब्ती वजह सबूत एक फोटो फ्रेम, 06 फोटो व स्टीकर	25	पत्र प्र.अ. रा.उ.प्रा.(बालिका) विद्यालय कठौती
11	फर्द बरामदगी पार्चेजात अभियुक्त	26	अध्ययन प्रमाण–पत्र
12	नक्शा मौका घटनास्थल कुबेर होटल	27	एफएसएल रिपोर्ट
13	फर्द पेशकर्ता होटल रजिस्टर व पहचान पत्र		

आर्टिकल्स

क्र.सं.	प्रदर्श पी	विवरण
–	–	–

खः– अभियुक्त दस्तावेज सूची

प्रदर्श	विवरण
डी–1	पुलिस बयान पीड़िता
डी–1	पुलिस बयान सीताराम
डी–2	पुलिस बयान प्रकाश देवी
डी–2	चिकित्सा अधिकारी को जारी पत्र

गः– न्यायालय दस्तावेज सूची

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
–	–	–

:: निर्णय :: **दिनांकः– 30.03.2026**

1– इस प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना जायल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 28/2016 में बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त रोशन खान के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 363, 366, 346, 376 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में पेश करने पर हुआ। प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से न्यायिक मजिस्ट्रेट, जायल द्वारा हस्तगत प्रकरण अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01, नागौर में कमिट किया गया। तत्पश्चात् माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, मेड़ता के आदेशानुसार प्रकरण अंतरित इस न्यायालय को दिनांक 15.05.2023 को प्राप्त हुआ। हस्तगत निर्णय के जरिये प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.04.2016 को पीड़िता के पिता द्वारा उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि उसके छः लड़की व दो पुत्र है, जिसमें पीड़िता उम्र–19 वर्ष, जो कि बी.ए. फाइनल की छाया है, जो कि डीडवाना बांगड़ कॉलेज में प्राइवेट पढ़ती है। उनके घर के पास अभियुक्त रोशन खान रहता है, जो कि दिनांक 04.04.2016 को लगभग 11:00 बजे उसकी पुत्री पीड़िता को भगाकर ले गया, जिसके जाने के बाद किसी प्रकार का अता–पता नहीं है।... इत्यादि।

3– उक्त लिखित रिपोर्ट पर थानाधिकारी पुलिस थाना जायल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 28/2016 दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त रोशन खान के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 363, 366, 346, 376 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जायल के समक्ष दिनांक

07.03.2017 को पेश किया गया। जहां से कमिट होकर प्रकरण न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, नागौर के समक्ष पेश हुआ।

आरोप विरचन :–

4– तत्पश्चात् दिनांक 01.03.2021 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363, 366, 346, 376 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाए जाने पर उपरोक्त धाराओं के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए, जिनसे इनकार कर अभियुक्त ने अन्वीक्षा चाही।

साक्ष्यः–

5– हस्तगत प्रकरण में अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में कुल 22 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–27 प्रदर्शित करवाये गए है।

अभियुक्त के कथनः–

6– अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए तो मुलजिम ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होने, झूठा फंसाए जाने बाबत् कथन किए।

7– हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध के विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य के दौरान बचाव के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज कुल 04 दस्तावेज प्रदर्श डी–1 लगायत डी–2 प्रदर्शित करवाये गए।

बहसः–

8– बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का परिशीलन किया गया। सुसंगत विधि का अध्यनन किया गया।

9– विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

10- जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि पीड़िता के बयानों में घटना संबंधी तात्विक तथ्यों को लेकर भयंकर विरोधाभास है। पीड़िता की साक्ष्य सत्य, विश्वसनीय एवं अखण्डनीय प्रवृति की नहीं है। पीड़िता के साथ उसकी सहमति के बिना, ब्लेकमैल अथवा धमकी देकर बलात्संग किया गया हो, यह तथ्य अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है। स्वयं पीड़िता की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि

पीड़िता लंबे समय तक अभियुक्त के साथ रही है। पीड़िता के माता–पिता, चाची एवं बहन ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पीड़िता घटना के पहले से ही मुलजिम के सम्पर्क में थी तथा मुलजिम एवं पीड़िता की बातचीत होती रहती थी, जिस पर पीड़िता के माता–पिता द्वारा पीड़िता को मना करने के बावजूद भी पीड़िता मुलजिम से छिपकर बातें करती थी तथा पीड़िता के माता–पिता द्वारा पीड़िता का फोन भी तोड़ा गया, उसके बावजूद पीड़िता मुलजिम के सम्पर्क में रही। पीड़िता ने अपने साथ सर्वप्रथम गुटका खिलाकर बलात्संग किए जाने एवं वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने बाबत् कथन किए है लेकिन ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग बरामद नहीं हुई है, ना ही न्यायालय के समक्ष पेश हुई है। अतः वीडियो रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ जबरन बलात्संग किए जाने का तथ्य साबित नहीं होता है। पीड़िता ने स्वयं स्वीकार किया है कि जो गुटका उसने खाया था, उसने अपने ही दुकान से अपने समक्ष मुलजिम को दिया था, अतः मुलजिम ने उसके द्वारा ही दिये गए गुटके में कोई मिलावट कर उसे खिलाया हो, यह तथ्य भी अविश्वसनीय है। इसके अलावा पीड़िता के साथ गाड़ी के अंदर किस स्थान पर बलात्संग किया गया, ऐसा कोई नक्शा मौका नहीं बनाया गया है, ना ही ऐसी कोई गाड़ी की बरामदगी हुई है। पीड़िता स्वेच्छा से अपने घर से शैक्षणिक दस्तावेज लेकर गई है। पीड़िता के घर से गायब होने वाले दिन मुलजिम पीड़िता के गांव में नहीं था। इसके अलावा पीड़िता के अनुसार वह डीडवाना से बस में जयपुर एवं जयपुर से ट्रेन में नागपुर गई थी। उसके साथ अन्य व्यक्ति भी यात्रा कर रहे थे लेकिन पीड़िता द्वारा अपने बचाव हेतु शोर–शराबा नहीं करना पीड़िता की सहमति को दर्शाता है। पीड़िता ने दिनांक 24.01.2017 को दस्तियाबी के दिन भी अपने पुलिस बयानों में मुलजिम द्वारा उसके साथ बलात्संग किए जाने संबंधी तथ्यों से इनकार किया है तथा पीड़िता के पिता ने भी जिरह में स्वीकार किया है कि पीड़िता ने 10 माह बाद किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने से मना कर दिया एवं अभियुक्त की ओर से पेश साक्षी फर्द दस्तियाबी के मौतबीर जीतूराम ने भी स्पष्ट कथन किए है कि पीड़िता का पिता उसके गांव से यह कहकर ले गया था कि पीड़िता जिस व्यक्ति के साथ भागी है, उसके साथ शादी करने के लिए अड़ी हुई है, आप पीड़िता को समझाओं, तब उसने समझाने का प्रयास किया तो पीड़िता ने कहा कि वह उसी से शादी करेगी। अतः पीड़िता के दस्तियाब के तुरंत पश्चात् की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि पीड़िता के साथ जबरन बलात्संग नहीं किया गया है। जीतूराम ने स्पष्ट कथन किए है कि पुलिस वालों ने पीड़िता को डरा–धमकाकर उसको, उसके पिता के साथ यह कहकर भेज दिया कि उसके बयान कुछ दिन बाद लेंगे तथा उसके पश्चात् पीड़िता के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान दिनांक 31.01.2017 को लेखबद्ध किए जाने पर पीड़िता ने अपने माता–पिता के प्रभाव में आकर अपने

साथ मुलजिम द्वारा बलात्संग किए जाने बाबत् कथन किए है किंतु उक्त तथ्य विश्वसनीय नहीं है। इसके अलावा पीड़िता के पास उसके घर से गायब होने से लेकर वापस दस्तियाबी होने तक मोबाइल रहा है तो वह मोबाइल से भी अपने साथ घटित घटना की सूचना अपने परिजनों अथवा पुलिस को दे सकती थी लेकिन पीड़िता द्वारा ऐसा नहीं किया जाना पीड़िता की सहमति को दर्शाता है। पीड़िता के परिजनों की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि पीड़िता एवं मुलजिम के मध्य उक्त घटना से पहले ही प्रेम–प्रसंग रहा है, जो कि पीड़िता की सहमति को दर्शाता है। अनुसंधान अधिकारी ने पीड़िता की अण्डरवियर एवं मुलजिम की अण्डरवियर को गांव पारड़ी के मकान से बरामद करना बताया है। उक्त मकान में मुलजिम एवं पीड़िता रहे हो, इस संबंध में कोई किरायानामा पेश नहीं हुआ है, ना ही मकान मालिक के बयान लेखबद्ध किये गए है तथा साक्षी कैलाशचंद के बयानों से यह प्रकट होता है कि उक्त मकान मुलजिम ने खाली कर दिया था तथा मकान की चाबी मकान मालिक से लेकर मकान का दरवाजा खोला गया था। अतः ऐसे मकान से बरामदशुदा अण्डरवियर को पीड़िता एवं मुलजिम से संबंधित होना नहीं माना जा सकता क्योंकि बरामदगी से काफी समय पूर्व ही मुलजिम उक्त मकान को खाली कर चुका था तथा उक्त मकान की चाबी भी मुलजिम के पास नहीं थी। इसके अलावा बरामदशुदा अण्डरवियर पीड़िता की हो, इस संबंध में पीड़िता से ना तो कोई शिनाख्तगी करायी गई है, ना ही पीड़िता ने उक्त अण्डरवियर अपने होने के संबंध में कोई कथन किए है। इसके अलावा उक्त अण्डरवियर को मुलजिम द्वारा दी गई इत्तला के अनुसरण में जब्त करना बताया गया है जबकि जिस अनुसंधान अधिकारी को इत्तला दी गई थी, वह न्यायालय के समक्ष पेश ही नहीं हुआ है। अतः इत्तला के अनुसरण में किसी नये तथ्य का प्रकटीकरण होने का तथ्य भी साबित नहीं हुआ है एवं ऐसे अण्डरवियर के संबंध में प्रस्तुत एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि मुलजिम ने पीड़िता के साथ बलात्संग किया हो। मुलजिम एवं पीड़िता के अण्डरवियर पर मानव वीर्य होना बताया गया है लेकिन उक्त अण्डरवियर मुलजिम एवं पीड़िता के ही हो, यह तथ्य साबित नहीं हुआ है। अतः ऐसी परिस्थितियों में मुलजिम को आरोपित अपराध से संयोजित करने वाली साक्ष्य पत्रावली पर नहीं होने के कारण दोषमुक्त घोषित किया जावें। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया–

- 2015(2) CCC 402 (SC), Md. Ali @ Guddu Vs State of U.P.

11– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रकरण के विनिश्चय हेतु निम्न विचारणीय बिंदु हैः–

- **मुलजिम दिनांक 04.04.2016 को वक्त 11:00 बजे या उसके आस–पास मौजा कठौती में आहता, जो कि वक्त घटना नाबालिग थी, को उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से हटाकर ले गया तथा आहता को विवाह करने/अयुक्त सम्भोग करने हेतु विवश करने के आशय के अग्रसरण में उसका व्यपहरण कर लिया तथा गुप्त स्थान गांव पारडी ले जाकर इस आशय से उसका सदोष परिरोध किया कि उक्त परिरोध के स्थान की जानकारी पीड़िता के किसी हितबद्ध व्यक्ति या लोकासेवक को नहीं हो पाए एवं दिनांक 04.04.2016 से 2–3 माह पूर्व से लेकर दिनांक 23.01.2017 तक उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्भोग करते हुए बलात्संग किया ?**
- **यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा?**

<u>**विवेचनः–**</u>

12– उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन की ओर से कुल 22 साक्षी पेश कर परीक्षित करवाये गए है। सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि बलात्संग के मामलों में अपराध को साबित करने हेतु पीड़िता की एकमात्र साक्ष्य भी पर्याप्त होती है। यदि पीड़िता की साक्ष्य सत्य, विश्वसनीय, सुसंगत एवं सुदृढ़ है तो किसी अन्य सम्पुष्टिकारक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है तथा सम्पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में भी पीड़िता की सुदृढ़ एवं विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि कायम की जा सकती है।

13– अभियोजन कहानी के अनुसार पीड़िता के साथ दिनांक 04.04.2016 से दो–तीन महीने पहले सर्वप्रथम मुलजिम द्वारा अपने घर लेकर बलात्संग किया गया तथा उसके पश्चात् दो–तीन महीने तक पीड़िता के साथ कार में बलात्कार किया गया तथा पीड़िता को दिनांक 04.04.2016 को मुलजिम डीडवाना बुलाकर उसे डीडवाना से जयपुर व जयपुर से नागपुर ले गया था व नागपुर में तहसील मोरछी के पारड़ी गांव में दिनांक 07.04.2016 से लेकर दिनांक 16.01.2017 तक किराये के मकान में जबरन बार–बार बलात्संग किया तथा उसके पश्चात् दिनांक 18.01.2017 से दिनांक 23.01.2017 तक जयपुर के एक होटल में बलात्संग किया। अतः उक्त अभियोजन कहानी के संबंध में पीड़िता की साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन किया जाना न्यायोचित होगा।

14– इस संबंध में पीड़िता पीडब्ल्यू 10 ने अपने **मुख्य परीक्षण** में कथन किए है कि दिनांक 04.04.2016 को दिन में 12 बजे उसके पिता की दुकान पर रोशन खान आया था, वह उस वक्त दुकान में थी। रोशन खान ने उसको गुटखा खिलाकर बेहोश कर दिया। उसके पिताजी हलवाई का काम करने गये हुए थे और माताजी खेत में गयी

हुई थे। फिर वो उसे अपने घर लेकर गया। वहां ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। उसके दो–तीन घंटे बाद उसे उसके घर पर पहुंचा दिया। उसके बाद उसने दुकान बंद कर दी। माताजी और पिताजी ने पूछा कि दुकान बंद क्यों की तो उसने बोला धूप बहुत थी इसलिए नहीं खोला। दूसरे दिन रोशन खान उसकी दुकान पर आया और उसे डरा–धमका कर फोन में उसके साथ बलात्कार के वीडियो और फोटोग्राफ्स सार्वजनिक करने की धमकी दी। रोशन खान दो–तीन महीने तक वीडियो रिकॉर्डिंग बताकर उसके साथ बलात्कार करता रहा। गाडी के अंदर बलात्कार करता था। दो–तीन महीने बाद में उसे डीडवाना बुलाया और वहां पर उसे कचौड़ी खिलाई उसमें भी कुछ मिलाया हुआ था जिससे वह बेहोश हो गई। वहां से वो उसको जयपुर लेकर गया। जयपुर से उसे नागपुर लेकर गया और नागपुर में उसके दोस्त ईमरान और कैलाश थे। ईमरान ने अपने दोस्त के यहां नागपुर से गांव पारडी तहसील मोरसी ज़िला अमरावती लेकर गया। वहा कमरा दिलाया और नौ महीने तक बलात्कार करता रहा। वह बाहर जाता तो ताला लगाकर जाता था, उस समय दो–तीन महीने बाद में वहां शंकरलाल नाम का लडका आया था, शंकरलाल के आने के बाद रोशन खान की अपनी मां से बात हाने लगी थी। उसकी बहन रूखसाना भी फोन पर बात करती थी। उसका जीजा भी फोन पर लाउड स्पीकर पर बात करता था। चेनाराम नाम का लडका भी रोशन से बात करता था। चेनाराम उसे सुनाकर फोन पर बोलता था कि रोशन खान को कुछ भी बोलेगी तो वह उसके माता– पिता को मार देगा। फिर थोडे दिन बाद पुलिस वाले कठौती उसके घर पर चक्कर लगाने लग गये तब उसकी मां ने उनको बुला लिया। फिर दिनांक 16.01.2017 को वहा से रवाना हुए और 18.01.2017 को जयपुर पहूंचे , 23.01.2017 तक एक होटल में उसके साथ बलात्कार करता रहा। होटल का नाम उसको पता नही है। फिर चेनाराम और राजीक नाम का लडका और रोशन के मोसी का बेटी भाई व अन्य एक–दो व्यक्ति आये। जो नारायणपुरा फाटा पर मिले। फिर राजीक ने फोन में उसके वीडियो–फोटोग्राफस बनाए। राजीक फोन लेकर फरार हो गया। और चेनाराम उसे बन्दूक दिखाकर बोला कि तू तेरे घर वालो के पक्ष मे बोलेगी तो तुझे मार दूंगा। उस समय वह ट्रक चलाता था और उसके पास बन्दूक थी। फिर नारायणपुरा फांटे पर पुलिस आ गई और चेनाराम, रोशन के मौसी के बेटा भाई को पकड लिया और जायल लेकर आ गये। फिर उसे भी जायल लेकर आ गये। उसका एक फोन था जिसमे जीयो की सिम थी वो फोन राजीक ले गया। उसके सिम के नंबर 7028622042 थे। जायल आने के बाद रात भर उसे थाने मे रखा जहां पर उसकी माता, चाची और बहन आ गये और एक महिला पुलिस कानि हेमा भी मौजूद थी। उसकी सरकारी अस्पताल नागौर मेडिकल जांच हुई थी। फर्द दस्तियाब जो प्रदर्श पी 15 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर

है। फर्द सुपुर्दगी दस्तियाब प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसका बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना हुआ जो मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है, जिस पर ए से बी उसके द्वारा दी गई सहमति का अंकन है और सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अभी भी वो उसको फोन करता है। इस प्रकरण में मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष उसके बयान हुये थे जो प्रदर्श पी 16 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

पीड़िता ने दौराने **प्रतिपरीक्षण** कथन किया कि इंस्टाग्राम पर उसकी रोशन से कोई बात नहीं होती। उसके जेठ के लड़के बालाराम और उसके परिवार के ही एक अन्य लड़के सुरेश के पास फोन आता है। उसके पास रोशन के साथ जाने से पहले जीओ की सिम थी, जिसके नंबर 7028622042 थे। उक्त नंबरों की जानकारी उसके घर वालों को भी थी कि ये उसके नंबर है। उक्त सिम थोड़े दिन बंद रही, थोड़े दिन चालू रही। वह अभी ससूराल से आई है। वह आखिरी बार ससुराल किस तारीख को गई उसे याद नहीं है। वह रोशन के साथ गई, उससे करीब चार–पांच साल पहले से जानती थी, उसके पिताजी की दुकान होने के कारण वह रोशन को जानती थी। रोशन उसके पिताजी की दुकान पर आता–जाता था, वह दुकान पर बैठती थी। वह दुकान पर गुटखे बेचती है। जाफरी, नटखट, विमल प्रकार के गुटखे बेचती है। वह जाफरी खाती है। उस दिन भी जाफरी खाई थी। उसकी दुकान से ही जाफरी ली थी। उसने भी जाफरी खाई थी। उसका रोशन से कोई प्यार नहीं था। रोशन के पास कभी कोई बन्दूक नहीं थी अजखुद कहा कि चेनाराम के पास बन्दूक थी। इस कथन को स्वीकार किया कि रोशन के पास कोई बन्दूक होने वाली बात झूठ है। इस कथन को स्वीकार किया कि उसने 9–10 महीने रोशन के साथ रहने के दौरान किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं की थी अजखुद कहा कि वह किसी भी व्यक्ति को जानती नहीं थी इसलिए नहीं की फिर कहा कि उसने एक आंटी को शिकायत की थी उन्होंने कहा कि वह आपको नहीं जानती है। आंटी को उसने पारड़ी गांव में शिकायत की थी। यह आंटी पारड़ी गांव में पड़ोस में रहती थी। उस आंटी ने उससे पूछा कि यह लड़का जो काम पर गया है वो कौन है। जहां पर हमने मकान लिया वहां मकान मालिक कौन था उसे जानकारी नहीं है। उसने उसके गांव से पारड़ी जाने तक बस में व ट्रेन में सफर किया था। वहां पर अन्य लोग भी सफर कर रहे थे। उसने बस व ट्रेन में साथ में सफर करने वाले व्यक्तियों में से किसी से कोई शिकायत नहीं की। इस कथन को स्वीकार किया कि वह घर से निकली तब अपने शैक्षणिक दस्तावेज साथ लेकर गई थी। अजखुद कहा कि रोशन ने धमकी दी तब साथ लेकर गई थी। इस कथन को स्वीकार किया कि रोशन ने उसे साथ लेकर चलने की धमकी दी हो यह बात उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 एवं उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए बयान प्रदर्श पी–16 में लिखी हुई नहीं है। इस कथन को स्वीकार किया कि वह घर से निकली जब उसके परिवार

के किसी सदस्य को बताकर नहीं निकली थी अजखुद कहा कि उसे धमकाया हुआ था। इस कथन को स्वीकार किया कि उसे रोशन ने घर वालों को उसके घर से निकलने का नहीं बताने हेतु धमकाया हो यह बात उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 एवं उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए बयान प्रदर्श पी–16 में लिखी हुई नहीं है। रोशन के मोबाईल नंबर क्या थे यह उसे अब याद नही है, उस समय उसे याद थे। पुलिस में उसके बयान हुए थे। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का हिस्सा ए से बी हिस्सा उसने लिखवाया था। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का हिस्सा सी से डी उसने लिखवाया या नहीं उसे ध्यान नहीं है। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का हिस्सा ई से एफ हिस्सा उसने लिखवाया था अजखुद कहा कि उस समय रोशन खान थाने पर ही था उसने उसे धमकाया हुआ था। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का हिस्सा जी से एच हिस्सा उसने लिखवाया था। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का हिस्सा आई से जे हिस्सा उसने लिखवाया था या नहीं उसे आज पता नही है। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का हिस्सा के से एल हिस्सा उसने नहीं लिखवाया था। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का हिस्सा एम से एन हिस्सा उसने लिखवाया था या नहीं उसे याद नही है। उसे इस बारे में जानकारी नहीं है कि वहां पर पेंटिंग के कार्य से रोशन को 400–450 रूपये मिलते थे या नहीं। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का हिस्सा ओ से पी हिस्सा उसने लिखवाया था या नहीं उसे ध्यान नहीं है। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का हिस्सा क्यू से आर हिस्सा उसने लिखवाया था। इस सुझाव से इनकार किया कि प्रदर्श डी–1 में उसने अपना मेडिकल करवाने से इनकार किया हो। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का हिस्सा एस से टी हिस्सा उसने लिखवाया था या नहीं उसे ध्यान नहीं है। इस कथन को स्वीकार किया कि उसने पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 दिए उस समय उसकी चाची उसके साथ ही मौजूद थी। पुलिस वाले भी मौजूद थे। इस कथन को स्वीकार किया कि पुलिस वालों ने उसे बोला था कि निर्भिक होकर आपके साथ जो हुआ उसका कथन करो। इस कथन को स्वीकार किया कि उसके बयान रोशन खान ने नहीं लिये। यह कहना सही है रोशन खान उस समय लॉकअप में था। जिस गाड़ी में रोशन खान उसके साथ बलात्कार करता था उस गाड़ी के बारे में उसने पुलिस को नहीं बताया था। अजखुद कहा कि अल्टो गाड़ी थी। उसने पुलिस को उस जगह के बारे में नहीं बताया था जिस जगह पर रोशन खान उसके साथ गाड़ी में बलात्कार करता था। गाड़ी में दिन में बलात्कार करता था। वह गाड़ी में उसके गांव से ही बैठकर जाती थी। इस कथन को स्वीकार किया कि वह जब भी गाड़ी में बैठकर गांव से जाती थी तथा वापस घर आती थी तब उसके घर वाले पूछते थे तब वह कुछ नहीं बताती थी अजखुद कहा कि वह इसलिए उसके घर वालों को नहीं बताती थी क्योंकि उसके पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग थी, वो उस रिकॉर्डिंग को वायरल करने

की धमकी देता था। इस कथन को स्वीकार किया कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 व बयान 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श पी–16 में यह बात नहीं लिखी हुई है कि रोशन खान उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देता था इसलिए वह अपने घर वालों को उसके साथ जाने व बलात्कार होने की बात नहीं बताती थी अजखुद कहा कि उसने तो पुलिस को बताया था। दूसरे दिन उसकी धमकी देने वाली बात उसने जो मुख्य परीक्षण मे बताई है वह सही बताई है। इस कथन को स्वीकार किया कि जिस दिन की वह घटना बता रही है उस रोज जब उसके माता–पिता घर आए उस समय दुकान बंद थी। इस कथन को स्वीकार किया कि घटना के बाद दूसरे दिन धमकी देने तक उसके साथ हुई घटना के बारे में उसने उसके माता–पिता को नहीं बताया था क्योंकि वह पूरी तरह होश में नहीं थी। घटना वाले दिन शाम को वह पूरी तरह होश में आ गई थी। उसके बाद में उसने घर वालों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह घबरायी हुई थी। उसने अपना वीडियो रोशन के मोबाईल में देखा था। जिस मोबाईल में उसकी रिकॉर्डिंग की गई उसके नंबर उसे पता नहीं है। उस समय उसके और रोशन के अलावा कोई दूसरा नहीं था। उस रिकॉर्डिंग में नीचे फर्श पर दरी दिखती है और कुछ नहीं दिखता और वह दिख रहीं है। उसके सलवार सूट पहने हुए है। उस मोबाईल वीडियो को उसने बाद में भी देखा। इस कथन को स्वीकार किया कि उस मोबाईल को राजीक लेकर भाग गया था। इस कथन को स्वीकार किया कि राजीक जिस मोबाईल को लेकर गया वो मोबाईल उसका ही था। इस कथन को स्वीकार किया कि उसका मोबाईल जब वह उसके घर से रोशन के साथ डीडवाना जाने के लिए निकली तब उसके साथ ही था। इस कथन को स्वीकार किया कि वह जब डीडवाना गई तब घर पर परीक्षा देने का झूठ बोलकर निकली थी अजखुद कहा कि रोशन ने उसे धमकाया हुआ था। इस कथन को स्वीकार किया कि वह रोशन के साथ जब पारड़ी जाने के लिए निकली उससे पहले कई बार रोशन से गांव में और गांव के बाहर मिल चुकी थी अजखुद कहा कि वह उसकी इच्छा से नहीं मिलती थी। इस कथन को स्वीकार किया कि रोशन उसके घर कई बार आता–जाता था अजखुद कहा कि दुकान पर सामान लेने के लिए आता था, उस समय उसके पापा बैठे रहते थे, कभी वह बैठी रहती थी। वह रोशन के घर दो–तीन बार गई थी। वह रोशन के घर दिन में गई थी। घटना वाले दिन उसके माता–पिता आए उस समय वह सो रही थी इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि वह होश में है या बेहोश है। उसने जब–जब रोशन के साथ सहवास किया तब वह उसके कपड़े धोती थी। इस सुझाव से इनकार किया कि उसने रोशन से पारड़ी में शादी की हो। इस सुझाव से इनकार किया कि उसने उसका नाम परिवर्तन किया हो और मुसलिम धर्म स्वीकार किया हो। इस सुझाव से इनकार किया कि उसने उसका नाम आलिया परवीन रखा हो। यह कहना

गलत है कि उसने रोशन खान के साथ बुद्ध भूमि महाविहार नागपुर बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान में जाकर विवाह किया हो। यह स्वीकार किया कि उसने उसके कोई कपड़े पुलिस को नहीं दिये। प्रदर्श डी–2 पर ए से बी हस्ताक्षर उसके है। प्रदर्श डी–2 में सी से डी भाग उसके हाथ की लिखी हुई नहीं है। किसके हाथ की लिखी हुई है उसे पता नहीं है। इस सुझाव से इनकार किया कि एमओ राजकीय चिकित्सालय जब उसे मेडिकल मुआयने के लिए ले जाया गया तब उसने अपना बलात्कार संबंधी परीक्षण करवाने से इनकार करते हुए प्रदर्श डी–2 पर सी से डी भाग अपने हाथ से दर्ज करते हुए ए से बी हस्ताक्षर किये हो। इस कथन को स्वीकार किया कि वह जिस स्थान से गाड़ी में बैठकर गई वो स्थान भी उसने पुलिस को नहीं बताया। इस कथन को स्वीकार किया कि 9–10 महीने के प्रवास के दौरान वह कहां से बस में बैठी, कहां पर उतरी और कहां रूकी, ऐसा कोई स्थान पुलिस को अन्वेषण के दौरान साथ जाकर नहीं बताया अजखुद कहा कि उसे धमकाया हुआ था। इस कथन को स्वीकार किया कि उसे पुलिस वालों ने यह बोला था कि तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है अजखुद कहा कि उस समय चेनाराम था। चेनाराम थाने में था। चेनाराम दो–तीन दिन थाने में रहा था। इस कथन को स्वीकार किया कि जब मेडिकल करवाने गई व 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान देने गई, उस समय उसके घर वालों और पुलिस के अलावा अन्य कोई व्यक्ति उसके साथ नहीं था। इस कथन को स्वीकार किया कि जिन–जिन स्थानों पर उसके साथ घटना घटित हुई थी उन स्थानों की तस्दीक अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसके द्वारा नहीं करवाई थी। वह यह नहीं बता सकती कि उन्होंने जब–जब सहवास किया क्या खाकर सहवास किया। इस सुझाव से इनकार किया कि वह इस पूरे 9–10 महीने के घटनाक्रम के दौरान कभी चिल्लाई नहीं हो। वह पारड़ी में चिल्लाई थी और कहीं नहीं चिल्लाई थी। यह कहना सही है कि इस 9–10 माह के अवधि के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान से वे गुजरे तो वह नहीं चिल्लाई। इस सुझाव से इनकार किया कि उसके सहवास के दौरान उसने कभी कोई प्रतिरोध नहीं किया हो। इस कथन को स्वीकार किया कि उसने इस दौरान रोशन की आंखो पर प्रहार किया नाखून से उसके शरीर को नोचने का प्रयास किया, कितनी बार नोचा उसे पता नहीं। उसने आंखों पर घोबा प्रहार नहीं किया। उसकी कमर पर प्रहार किया या नहीं उसे पता नहीं है। इस सुझाव से इनकार किया कि वह रोशन से प्यार करती रही हो तथा उससे शादी करने का उद्देश्य रखती हो तथा घर वालों के डर से उसने राजस्थान से बाहर जाकर शादी का निश्चय किया हो लेकिन रोशन अन्य जाति का होने के कारण शादी को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलने से आज वह रोशन के विरूद्ध झूठे बयान दे रही हो।

15– इस प्रकार पीड़िता ने यह कथन किए है कि दिनांक 04.04.2016 को दिन में 12 बजे वह अपने पिता के किराने की दुकान पर थी तब मुलजिम रोशन आया और उसने, उसे गुटका खिलाकर बेहोश कर दिया फिर वह उसे अपने घर लेकर गया तथा वहां पर ले जाकर उसके साथ बलात्संग किया तथा इस साक्षिया ने आगे यह भी कथन किए है कि फिर मुलजिम दो–तीन महीने तक वीडियो रिकॉर्डिंग बताकर उसके साथ बलात्संग करता रहा, गाड़ी के अंदर बलात्संग करता था तथा दो–तीन महीने बाद उसे डीडवाना बुलाया तथा डीडवाना से जयपुर व जयपुर से नागपुर लेकर गया, जहां गांव पारड़ी में एक कमरे में नौ महीने तक बलात्संग किया।

16– इस प्रकार पीड़िता के अनुसार उसके साथ सर्वप्रथम दिनांक 04.04.2016 को मुलजिम ने उसकी दुकान पर आकर उसे गुटका खिलाकर उसे अपने घर पर ले जाकर उसके साथ बलात्संग किया तथा उसके दो–तीन महीने बाद तक वह गाड़ी में उसके साथ बलात्संग करता रहा तथा दो–तीन महीने बाद वह उसे डीडवाना बुलाकर वहां से नागपुर लेकर गया जबकि पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 05.04.2016 को गुमशुदगी रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 व दिनांक 06.04.2016 को लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 पुलिस थाने में दर्ज करवायी जाती है। अतः मुलजिम द्वारा दिनांक 04.04.2016 को सर्वप्रथम पीड़िता के साथ बलात्संग किया गया हो एवं उसके पश्चात् दो–तीन महीने तक पीड़िता के साथ गांव में ही बलात्संग कर व उसके पश्चात् उसे डीडवाना एवं नागपुर ले जाया गया हो, यह तथ्य विश्वसनीय नहीं है क्योंकि दिनांक 05.04.2016 को ही पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। अतः पीड़िता के साथ सर्वप्रथम दिनांक 04.04.2016 को बलात्संग किए जाने के पश्चात् दो–तीन महीने तक गांव कठौती में कार में बलात्संग किए जाने का तथ्य संदेहास्पद है।

17– पीड़िता ने यह कथन किए है कि मुलजिम उसकी दुकान पर आया और उसे गुटका खिलाकर बेहोश कर दिया। जिरह में इस साक्षिया ने यह कथन किया कि वह जाफरी खाती है, उस दिन भी जाफरी खायी थी, उसकी दुकान से ही जाफरी ली थी, उसने भी जाफरी खायी थी। अर्थात् पीड़िता के उपर्युक्त कथनों से यह प्रकट होता है कि घटना वाले दिन भी मुलजिम ने उसकी दुकान से ही जाफरी गुटका खरीदकर खाया और उसे भी जाफरी गुटका खिलाया था। पीड़िता के ऐसे कोई कथन नहीं रहे है कि गुटके में किसी बेहोश करने वाले पदार्थ को मिलाते हुए उसने मुलजिम को देखा हो। अतः ऐसी परिस्थितियों में यदि मुलजिम द्वारा गुटके के अंदर किसी प्रकार की मदहोश करने वाले पदार्थ की मिलावट की जाती तो जाहिरा तौर पर पीड़िता उसे देखती लेकिन पीड़िता की दुकान से गुटका लेकर, उसी गुटके को पीड़िता व मुलजिम के खाने पर पीड़िता बेहोश हो गई हो, यह तथ्य भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है

तथा पीड़िता के उपर्युक्त कथन स्वाभाविक मानवीय आचरण के अनुकूल प्रतीत नहीं होते है।

18– इसके अलावा यह तथ्य संदेहास्पद है कि पीड़िता ने अपनी ही दुकान से जाफरी लेकर पहले मुलजिम को दी हो तथा मुलजिम ने उसमें मिलावट की हो तथा मिलावट के पश्चात् पीड़िता द्वारा उस गुटके को खाया गया हो और उसके पश्चात् वह बेहोश हो गई हो। इसके अलावा यह तथ्य भी स्वाभाविक मानवीय व्यवहार के अनुकूल प्रतीत नहीं होता है कि बेहोशी की हालत में मुलजिम पीड़िता को अपने घर लेकर गया हो तथा घर पर बलात्संग करने के पश्चात् वापिस उसे उसके घर छोड़कर आया हो।

19– पीड़िता ने यह कथन किए है कि दूसरे दिन अभियुक्त उसकी दुकान पर आया और उसे डरा–धमकाकर फोन में उसके साथ बलात्संग की वीडियो और फोटोग्राफ्स सार्वजनिक करने की धमकी दी फिर रोशन खान दो–तीन महीने तक वीडियो रिकॉर्डिंग बताकर उसके साथ बलात्संग करता था। बलात्संग गाड़ी के अंदर करता था। जिरह में इस संबंध में पीड़िता ने यह कथन किए है कि जिस गाड़ी में रोशन खान उसके साथ बलात्संग करता था, उस गाड़ी के बारे में उसने पुलिस को नहीं बताया था अजखुद कहा अल्टो गाड़ी थी। उसने पुलिस को उस जगह के बारे में नहीं बताया था, जिस जगह पर रोशन खान उसके साथ गाड़ी में बलात्संग करता था। गाड़ी में बलात्संग दिन में करता था। वह गाड़ी में अपने गांव से ही बैठकर जाती थी। यह स्वीकार किया कि वह जब भी गाड़ी में बैठकर गांव से जाती तथा वापिस घर आती थी तब उसके घर वाले पूछते थे तब वह कुछ नहीं बताती थी अजखुद कहा कि वह इसलिए घर वालों को नहीं बताती थी क्योंकि उसके पास वीडियो रिकॉर्डिंग थी तथा वो उस वीडियो रिकॉर्डिंग को वायरल करने की धमकी देता था।

20– इस प्रकार पीड़िता ने यह कथन अवश्य किए है कि प्रथम दिन की घटना के पश्चात् मुलजिम दो–तीन महीने तक उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाता तथा गाड़ी में उसके साथ बलात्संग करता था लेकिन उक्त बलात्संग किस स्थान पर कारित किया गया, इस संबंध में कोई नक्शा मौका अनुसंधान अधिकारी द्वारा नहीं बनाया गया है, ना ही जगह के बारे में कोई विशिष्ट कथन पीड़िता के रहे है। इसके अलावा जिस गाड़ी के अंदर उक्त बलात्संग की घटना कारित की जाती है, ऐसी कोई गाड़ी भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा बरामद नहीं की गई है।

21– पीड़िता ने मुख्य रूप से यह कथन किए है कि मुलजिम ने उसके बलात्संग के वीडियो और फोटोग्राफ्स सार्वजनिक करने की धमकी उसे दी थी और वीडियो रिकॉर्डिंग बताकर उसके साथ बलात्संग करता था। इस संबंध में जिरह में पीड़िता के

यह कथन रहे है कि उसने अपना वीडियो रोशन के मोबाइल में देखा था, जिस मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग की गई, उसके नंबर उसे पता नहीं है। उस समय उसके व रोशन के अलावा कोई दूसरा नहीं था, उस रिकॉर्डिंग में नीचे फर्श पर दरी दिखती है और कुछ नहीं दिखता और वह दिख रही है, उसके सलवार–सूट पहने हुए है। उस मोबाइल वीडियो को उसने बाद में भी देखा।

22– इस प्रकार पीड़िता ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए है कि उसके बलात्संग के वीडियो और फोटोग्राफ्स मुलजिम द्वारा बनाये गए है जबकि जिरह में इस साक्षिया ने स्पष्ट कथन किए है कि उस वीडियो में केवल दरी और सलवार–सूट पहने हुए वह दिखती है। अतः कोई अश्लील वीडियो अथवा बलात्संग करते हुए का वीडियो मुलजिम द्वारा बनाया गया हो, यह तथ्य स्वयं पीड़िता की साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। चूंकि जब वीडियो अश्लील ही नहीं था तो ऐसे वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ बलात्संग किया गया हो यह तथ्य विश्वसनीय नहीं है। अतः यह तथ्य भी साबित नहीं होता है कि कोई अश्लील वीडियो मुलजिम द्वारा पीड़िता का बनाया गया हो और जब वीडियो अश्लील ही नहीं था तो उसे सार्वजनिक करने की धमकी मुलजिम द्वारा पीड़िता को दिए जाने का तथ्य भी संदेहास्पद है।

23– इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऐसा कोई वीडियो अथवा फोटोग्राफ्स, जिस मोबाइल से शूट किया गया, ऐसा कोई मोबाइल न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ है, ना ही ऐसे वीडियो अथवा फोटोग्राफ्स की कोई रिकॉर्डिंग अनुसंधान अधिकारी द्वारा दौराने अनुसंधान जब्त की गई है, ना ही न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई रिकॉर्डिंग प्रदर्शित हुई है। अतः ऐसी परिस्थितियों में यह तथ्य संदेहास्पद हो जाता है कि मुलजिम द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग अथवा फोटोग्राफ्स सार्वजनिक करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ बलात्संग किया जाता रहा हो।

24– सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पीड़िता ने मुख्य रूप से घटना के संबंध में अपने परिजनों को नहीं बताने का यह आधार लिया है कि उसे मुलजिम ने यह धमकी दी थी कि यदि वह अपने परिजनों को इस बारे में बताएगी तो वह उक्त बलात्संग के वीडियो एवं फोटोग्राफ्स सार्वजनिक कर देगा जबकि ऐसा कोई वीडियो एवं फोटोग्राफ मुलजिम द्वारा बनाया गया हो, ऐसा स्वयं पीड़िता की साक्ष्य से ही प्रकट नहीं होता है और ऐसे किसी वीडियो एवं फोटोग्राफ्स की बरामदगी भी दौराने अनुसंधान नहीं हुई है। अतः ऐसी परिस्थितियों में वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर बलात्संग किए जाने का तथ्य ही संदेहास्पद हो जाता है।

25– इसके अलावा पीड़िता ने यह भी कथन किए है कि जब उसके साथ सर्वप्रथम जाफरी गुटका खिलाकर मुलजिम द्वारा बेहोश करके अपने घर ले जाकर

बलात्संग किया गया तो अगले दिन मुलजिम ने उसकी दुकान पर आकर उसे डराया–धमकाया और फोन में अपने साथ बलात्संग के वीडियो एवं फोटोग्राफ्स सार्वजनिक करने की धमकी दी अर्थात् जिस दिन घटना घटित हुई, उस दिन से लेकर अगले दिन मुलजिम के उसके घर पर पुनः आने तक पीड़िता द्वारा उक्त घटना अपने माता–पिता अथवा परिजनों को क्यों नहीं बतायी गई, इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण पत्रावली पर नहीं है। ग्रद्यपि पीड़िता ने जिरह में यह कथन अवश्य किए है कि उसने घटना के बारे में अपने माता–पिता को नहीं बताया था क्योंकि वह पूरी तरह होश में नहीं थी। घटना वाले दिन शाम को वह पूरी तरह होश में आ गई थी, उसके पश्चात् उसने घर वालों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह घबराई हुई थी लेकिन पीड़िता के उपर्युक्त कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है क्योंकि यदि पीड़िता के साथ इतनी बड़ी घटना घटित हुई है तथा पीड़िता पढ़ी–लिखी युवती है, उसके पश्चात् भी अपने साथ घटित इस गंभीर घटना के बारे में अपने माता–पिता एवं परिजनों को नहीं बताना सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को ही संदेहास्पद बना देता है जबकि घटना के अगले दिन तक वह वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी के प्रभाव में भी नहीं थी।

26– इसके अलावा पीड़िता का यह कहना कि मुलजिम रोशन खान दो–तीन महीने तक वीडियो रिकॉर्डिंग बताकर उसके साथ बलात्संग करता रहा तथा पीड़िता का यह कहना कि वह अपने घर से मुलजिम की कार में बैठकर जाती थी तथा मुलजिम वापिस उसे छोड़कर जाता था। यह तथ्य भी स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है कि यदि पीड़िता के साथ इतने लंबे समय तक मुलजिम द्वारा धमकी देकर बलात्संग किया जाता तो स्वाभाविक तौर पर इस तथ्य के बारे में पीड़िता अपने परिजनों को बताती तथा परिजन इस बारे में जांच करते कि पीड़िता मुलजिम के साथ कार में बैठकर कहां पर जा रही है लेकिन इस संबंध में पीड़िता द्वारा यह कहना कि वह अपने घर वालों को पूछने पर कुछ नहीं बताती थी, यह तथ्य स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है।

27– इसके अलावा पीड़िता के बयानों से यह प्रकट होता है कि पीड़िता दिनांक 04.04.2016 को अपने घर से अपने पिता से किराये के 100/– रुपये लेकर डीडवाना गई है। जिसकी पुष्टि स्वयं पीड़िता, उसके पिता, उस समय मौके पर उपस्थित पीड़िता की चाची, पीड़िता की माता व पीड़िता की बहन ने भी अपने बयानों में की है तथा इन सभी ने पीड़िता द्वारा 100/– रुपये अपने पिता से लेकर डीडवाना जाने बाबत् कथन किए है तथा पीड़िता की साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि पीड़िता अपने शैक्षणिक दस्तावेज साथ लेकर गई थी, इससे यह प्रकट होता है कि पीड़िता सोच–समझकर अपने सम्पूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज अपने साथ लेकर मुलजिम के साथ गई थी तथा अनुसंधान अधिकारी के बयानों से यह प्रकट होता है कि उस

दिन मुलजिम का कठौती में होना उसके अनुसंधान में नहीं आया अर्थात् पीड़िता स्वयं द्वारा ही अपने शैक्षणिक दस्तावेज लेकर अपने पिता से 100/– रुपये लेकर कठौती से डीडवाना मुलजिम के पास जाना अभियोजन द्वारा पेश की गई साक्ष्य से प्रकट होता है, जो कि यह दर्शाता है कि पीड़िता अपनी इच्छा से डीडवाना गई थी।

28– पीड़िता ने यह कथन किए है कि मुलजिम ने दो–तीन महीने बाद उसे डीडवाना बुलाया, वहां पर उसे कचौरी खिलाई, उसमें कुछ मिलाया हुआ था, जिससे वह बेहोश हो गई। यह तथ्य भी स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है कि जब पीड़िता, मुलजिम के कहे अनुसार अपने गांव से शैक्षणिक दस्तावेज लेकर डीडवाना मुलजिम के पास चली गई है तो उसे कचौरी खिलाकर बेहोश करके ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा पीड़िता ने यह कथन किए है कि डीडवाना से उसे वह जयपुर लेकर गया तथा जयपुर से उसे नागपुर लेकर गया। अतः इतनी लंबी दूरी में वह बेहोशी की अवस्था में रही हो, यह तथ्य भी मानने योग्य नहीं है तथा इस संबंध में पीड़िता ने जिरह में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसका मोबाइल जब वह घर से रोशन के साथ डीडवाना जाने के लिए निकली तब उसके साथ ही था। यह भी स्वीकार किया कि जब वह डीडवाना गई तो घर पर परीक्षा देने का झूठ बोलकर निकली थी।

29– इस प्रकार पीड़िता के उपर्युक्त कथनों से यह प्रकट होता है कि पीड़िता स्वयं ही झूठ बोलकर अपने घर से डीडवाना गई थी तथा उसके पास मोबाइल फोन भी था। अतः यदि पीड़िता के साथ किसी प्रकार की जोर–जबरदस्ती की जाती तो वह फोन से अपने परिजनों को सूचना दे सकती थी। इसके अलावा पीड़िता द्वारा जयपुर से नागपुर तक की लंबी दूरी तय की गई है तथा स्वाभाविक तौर पर उसने इस दौरान कई यात्रियों के साथ यात्रा की है। यदि उसके साथ जोर–जबरदस्ती करके उसका व्यपहरण किया जाता तो जाहिरा तौर पर वह शोर–शराबा करती या अन्य किसी यात्री को बता सकती थी लेकिन पीड़िता द्वारा ऐसा नहीं किए जाने से यह प्रकट होता है कि पीड़िता अपनी सहमति से मुलजिम के साथ गई थी।

30– इसके अलावा पीड़िता ने यह कथन किए है कि नागपुर में मुलजिम के दोस्त इमरान और कैलाश थे। इमरान ने अपने दोस्त के यहां गांव पारड़ी, तहसील मोरछी, जिला अमरावती लेकर गया, वहां कमरा दिलाया और नौ महीने तक बलात्संग करता रहा तथा वह बाहर जाता तो ताला करके जाता था। इस प्रकार पीड़िता के अनुसार नागपुर के पारड़ी गांव में किराये के कमरे में उसके साथ नौ महीने तक मुलजिम द्वारा बलात्संग किया जाता था तथा जब मुलजिम बाहर जाता तो मकान के ताला लगाकर जाता था लेकिन पीड़िता के उक्त कथन जिरह में खण्डित हो जाते

है। पीड़िता ने जिरह में स्पष्ट कथन किए है कि उसने नौ–दस महीने रोशन के साथ रहने के दौरान किसी भी व्यक्ति से शिकायत नहीं की थी, वह किसी व्यक्ति को जानती नहीं थी इसलिए शिकायत नहीं की थी फिर उसने एक आंटी को शिकायत की थी, उन्होंने कहा कि वह उसको जानती नहीं है। आंटी को उसने पारड़ी गांव में शिकायत की थी, जो उसके पड़ोस में रहती थी। उसने अपने गांव से पारड़ी जाने तक बस व ट्रेन में सफर किया था वहां पर अन्य लोग भी सफर कर रहे थे, उसने बस व ट्रेन में साथ सफर करने वाले व्यक्तियों से किसी चीज के बारे में शिकायत नहीं की थी।

31– इस प्रकार पीड़िता की जिरह के दौरान मुख्य परीक्षण में किये गए यह कथन खण्डित हो जाते है कि मुलजिम उसके कमरे के बाहर ताला लगाकर जाता था क्योंकि पीड़िता ने जिरह में स्वीकार किया है कि वह पड़ोस में रहने वाली आंटी से मिली थी। इसके अलावा पीड़िता के कथनों से यह भी प्रकट होता है कि जब वह बस व ट्रेन में सवार होकर गई थी, उस समय उसके साथ अन्य व्यक्ति भी यात्रा कर रहे थे, उन यात्रियों के समक्ष भी पीड़िता द्वारा उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया। इसके अलावा यह भी प्रकट होता है कि पीड़िता के पास इस अवधि के दौरान मोबाइल फोन भी रहा है।

32– पीड़िता ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए है कि उसके पास एक फोन था, जिसमें जियो की सिम थी, वह फोन राजिक ले गया, उसकी सिम के नंबर 7028622042 थे तथा पीड़िता के अनुसार उक्त फोन जयपुर में नारायणपुरा फांटा पर राजिक लेकर भाग गया था, जब वह वापिस पारड़ी नागपुर से जयपुर आई थी और जिरह में भी पीड़िता ने स्पष्ट कथन किए है कि उसके मोबाइल को राजिक लेकर भाग गया था। राजिक जिस मोबाइल को लेकर गया, वह उसका ही मोबाइल था। उसका मोबाइल जब वह घर से रोशन के साथ डीडवाना जाने के लिए निकली तब उसके साथ ही था।

33– पीड़िता के उपर्युक्त कथनों से यह प्रकट होता है कि पीड़िता जब अपने गांव से डीडवाना निकली तब से लेकर वापिस नारायणपुरा फांटे जयपुर पहुंची, तब तक उसके पास मोबाइल फोन था तथा पीड़िता ने यह भी कथन किए है कि उसकी सिम के नंबर 7028622042 थे। अर्थात् पीड़िता के पास इस सम्पूर्ण समयावधि के दौरान फोन रहा है तथा पीड़िता यदि चाहती तो उसके साथ घटित घटना के बारे में परिजनों तथा अन्य किसी भी व्यक्ति को फोन पर सूचित कर सकती थी लेकिन फोन होने के बावजूद पीड़िता द्वारा अपने परिजनों अथवा अन्य किसी व्यक्ति को मुलजिम द्वारा कारित कृत्य के बारे में सूचना नहीं दिए जाना पीड़िता की सहमति को प्रकट

करता है तथा यह दर्शाता है कि पीड़िता सहमति से मुलजिम के साथ गई थी तथा सहमति से ही उसके साथ रह रही थी।

34- इसके अलावा पीड़िता के यह भी कथन रहे है कि वह रोशन के साथ गई, उससे करीब चार–पांच साल पहले से जानती थी। वह अपने पिताजी की दुकान होने के कारण रोशन को जानती थी। रोशन उसके पिता की दुकान पर आता–जाता था, वह दुकान पर बैठती थी। आगे पीड़िता ने यह भी कथन किए है कि रोशन उसके घर पर कई बार आता–जाता था तथा वह भी रोशन के घर पर दो–तीन बार गई थी। पीड़िता की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि पीड़िता का मकान मुलजिम के पड़ोस में ही स्थित है तथा मुलजिम को वह घटना से चार–पांच साल पहले से ही जानती थी तथा पीड़िता व मुलजिम का एक–दूसरे के घर आना–जाना था। इन तथ्यों की पुष्टि अन्य साक्षियों ने भी अपने बयानों में की है। पीड़िता के पिता पीडब्ल्यू 02 ने कथन किए है कि उसकी पुत्री को रोशन खान फोन करता था। जब उसके ध्यान में आया तो उसने अपनी पुत्री का फोन तोड़कर फेंक दिया, उसके बाद फोन नहीं दिया। उसकी पुत्री को एलर्जी की बीमारी है। उसकी पुत्री दवा लेने के लिए कभी नागौर, कभी डीडवाना जाती थी। रोशन का मकान उसके पड़ोस में आया हुआ है। जिरह में इस साक्षी ने कथन किए है कि उसने पुलिस को अपनी पुत्री द्वारा घटना से 06 महीने पहले रोशन से फोन पर बात करने की बात बतायी थी तथा इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पीड़िता के दस महीने बाद, उसके घर पर आने के बाद में उसने किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाने से मना कर दिया था।

35– इस प्रकार पीड़िता के पिता के उपर्युक्त कथनों से प्रकट होता है कि पीड़िता पूर्व से ही मुलजिम के सम्पर्क में थी तथा पीड़िता एवं मुलजिम की फोन पर आपस में बात होती रहती थी तथा जब यह तथ्य पीड़िता के पिता के ध्यान में आया तो उसने पीड़िता का फोन भी तोड़ दिया था। पीड़िता द्वारा दस महीने बाद वापिस घर पर आकर भी किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से मना किए जाने का तथ्य यह दर्शाता है कि पीड़िता सहमति से मुलजिम के साथ गई थी तथा पूर्व से ही पीड़िता एवं मुलजिम के आपस में संबंध थे।

36– इसके अलावा पीड़िता की चाची पीडब्ल्यू 04 ने भी यह कथन किए है कि पीड़िता व रोशन के मेल–मुलाकात जब से रोशन दुकान पर आता था, तब से ही थी। यह स्वीकार किया कि पीड़िता घर से रोशन खान के साथ जाने के लिए परीक्षा देने का झूठ कहकर गई थी। यह स्वीकार किया कि पीड़िता व रोशन खान के जो प्रेम–संबंध थे, उससे पीड़िता के घर वाले नाराज थे। यह स्वीकार किया कि पीड़िता अपने घर वालों के कहने में नहीं थी तथा घर वालों को बिना बताए घर से चली गई थी।

37– इस प्रकार पीड़िता की चाची के उपर्युक्त कथनों से भी यह तथ्य प्रकट होता है कि पीड़िता एवं रोशन खान के घटना से पूर्व से ही प्रेम–संबंध थे, जिससे पीड़िता के घर वाले नाराज थे एवं पीड़िता अपने घर वालों का कहना नहीं मानती थी। पीड़िता के दादा पीडब्ल्यू 05 रामदेव ने स्पष्ट कथन किए है कि पीड़िता व रोशन खान के बीच जन्म से ही मेल है।

38- पीड़िता की माता पीडब्ल्यू 06 ने यह कथन किए है कि रोशन उसके घर पर दुकान पर आता–जाता रहता था। घटना से 06 महीने पहले उसने व उसके पति ने पीड़िता का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया था क्योंकि पीड़िता के फोन पर फोन आते रहते थे। उसकी पुत्री पीड़िता बीमार रहती थी, जिसका नागौर व डीडवाना में इलाज चलता था। इलाज करवाने के लिए वह भी जाती थी और कभी–कभी रोशन खान भी उसका इलाज करवाने के लिए साथ जाता था। जिरह में भी इस साक्षिया ने कथन किए है कि पीड़िता रोशन से करीब 4–6 महीने पहले से बातें करती थी। उसने पीड़िता को समझाया था कि प्यार–मोहब्बत की बातें ज्यादा ठीक नहीं है और उसने पीड़िता का मोबाइल भी छीन लिया था और मोबाइल छीनकर तोड़ दिया था और फोन तोड़ने के बाद पीड़िता व रोशन आपस में चोरी–छिपे बातें करते थे। उसने पीड़िता को मना नहीं किया अजखुद कहा कि बाद में उसने पीड़िता को बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था।

39– इस प्रकार पीड़िता की माता के उपर्युक्त कथनों से भी यह प्रकट होता है कि पीड़िता एवं रोशन खान घटना से पूर्व से ही आपस में सम्पर्क में थे तथा दोनों के आपस में फोन पर बातचीत होती थी तथा इस साक्षिया के कथनों से यह भी प्रकट होता है कि उसने व उसके पति ने पीड़िता के रोशन खान से बात करने पर उसका फोन छीनकर तोड़ दिया था फिर भी पीड़िता मुलजिम से चोरी–छिपे बातें करती थी । इस साक्षिया द्वारा पीड़िता को प्यार–मोहब्बत की बात ठीक नहीं होने बाबत् समझाईश किए जाने बाबत् कथन किये गए है। अतः पीड़िता के माता के उपर्युक्त कथनों से यह प्रकट होता है कि पीड़िता एवं मुलजिम रोशन खान के घटना के पूर्व से ही आपस में सम्पर्क में थे एवं माता–पिता के फोन से मुलजिम से बात करने की मनाही के बावजूद पीड़िता चोरी–छिपे मुलजिम से बातें करती थी।

40– पीड़िता की बहन पीडब्ल्यू 07 ने भी कथन किए है कि पीड़िता की एलर्जी की दवाइयां चल रही थी, एलर्जी का इलाज डीडवाना व नागौर में चलता था और कभी–कभी पीड़िता का इलाज करवाने रोशन साथ जाता था। पीड़िता के पास जो फोन था, जिससे पीड़िता रोशन खान से बातचीत करती थी, उस फोन को उसके पिताजी ने तोड़कर फेंक दिया था। रोशन खान जिस नंबर से पीड़िता के पास बार–

बार फोन करता था, उसके मोबाइल नंबर 9667138770 थे। जिरह में इस साक्षिया ने कथन किए है कि यह कहना सही है कि वे लोग पीड़िता को यह समझाते थे कि पराये मर्द से ब्याह से पहले ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, यह बातें अच्छी नहीं लगती है। यह कहना सही है कि फिर भी पीड़िता नहीं मानी तब उसके माता–पिता ने पीड़िता का फोन भी छीन लिया और फोन छीनकर तोड़ दिया। यह कहना सही है कि उसके बाद वे पीड़िता को रोशन से नहीं मिलने देते थे तथा घर में ही रखते थे। जिस दिन पीड़िता घर से बाहर निकली उससे छः माह पहले से ही पीड़िता रोशन से बातें करती थी।

41– इस प्रकार पीड़िता की बहन के उपर्युक्त कथनों से भी यह प्रकट होता है कि पीड़िता एवं मुलजिम रोशन खान घटना के छः माह पूर्व से ही आपस में सम्पर्क में थे तथा इनकी आपस में बातचीत होती रहती थी तथा इस बिंदु पर उसके माता–पिता के द्वारा भी फोन छीनकर तोड़ दिया गया था तथा पीड़िता का इलाज करवाने के लिए भी रोशन खान उसके साथ कई बार जाता था।

42– पीड़िता की फर्द सुपुर्दगी दिनांक 24.01.2017 के मौतबीर साक्षी पीडब्ल्यू 11 जीतूराम ने भी यह कथन किए है कि पीड़िता के पिता उक्त साक्षी को गांव कठौती से यह कहकर लाए कि उसकी पुत्री जिस व्यक्ति के साथ भागी, वह उससे शादी करने पर अड़ी हुई है इसलिए आप चलो और पीड़िता को समझाओ। यह सही है कि जब वह थाने में आए तो उसने पीड़िता को समझाया तो पीड़िता ने कहा कि वह तो जिसके साथ गई है, उसी से शादी करेगी फिर पुलिस वालों ने डरा–धमकाकर पीड़िता को उसके माता–पिता के साथ यह कहकर भेज दिया कि तुम्हारे कुछ दिन बाद बयान लेंगे।

43– इस प्रकार साक्षी पीड़िता की माता, चाची, बहन एवं पीड़िता के पिता एवं जीतूराम के कथनों से यह प्रकट होता है कि पीड़िता एवं रोशन खान घटना से पूर्व से ही आपस में बातचीत करते थे तथा बातचीत करते हुए पीड़िता को पकड़ने पर पीड़िता के माता–पिता द्वारा उसका फोन भी तोड़ दिया गया था लेकिन फिर भी पीड़िता चोरी–छिपे रोशन खान से बातें करती रहती थी एवं पीड़िता की चाची के कथनों से यह भी प्रकट होता है कि पीड़िता एवं रोशन खान के आपस में प्रेम–प्रसंग भी थे तथा पीड़िता को मुलजिम रोशन खान कई बार दवा दिलाने के लिए भी ले जाता था। मुलजिम रोशन खान पीड़िता का पड़ोसी था तथा उसके घर पर भी आता–जाता था तथा पीड़िता भी उसके घर पर आती–जाती थी तथा पीड़िता घटना से पहले निरंतर मुलजिम के सम्पर्क में थी। अतः ऐसी परिस्थितियों में यह प्रकट होता

है कि पीड़िता एवं मुलजिम घटना से काफी समय पूर्व से ही आपस में बातचीत करते थे एवं दोनों के मध्य संबंध थे।

44– साक्षी जीतूराम के बयानों से यह भी प्रकट होता है कि पीड़िता दिनांक 24.01.2017 को थाने पर दस्तियाब होने के पश्चात् भी मुलजिम के साथ शादी करने पर अड़ी हुई थी। इस साक्षी ने स्पष्ट कथन किए है कि जब उसने पीड़िता को समझाया तो उसने कहा कि वह तो उसी से शादी करेगी, जिसके साथ गई थी। इससे भी यह प्रकट होता है कि पीड़िता सहमति से मुलजिम के साथ गई थी तथा जब पीड़िता को दिनांक 24.01.2017 को दस्तियाब किया गया था, उस दिन भी पीड़िता मुलजिम से ही शादी करने पर अड़ी हुई थी।

45– दिनांक 24.01.2017 को ही पीड़िता के पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 लेखबद्ध किए जाते है। पीड़िता के कथनानुसार यह प्रकट होता है कि जब पीड़िता को थाने लाया गया तो उसकी माता, बहन एवं चाची मौके पर आ गई थी तथा पुलिस कानि. हेमी भी मौके पर उपस्थित थी तथा अपने पुलिस बयानों में पीड़िता ने कहीं भी यह कथन नहीं किए है कि मुलजिम उसे जबरदस्ती व्यपहरण/अपहरण करके ले गया हो तथा उसके साथ अपने घर पर, गाड़ी में अथवा पारड़ी गांव ले जाकर जबरदस्ती बलात्संग किया हो बल्कि इन तथ्यों से स्पष्टतया पीड़िता ने अपने पुलिस बयानों में इनकार किया है तथा पुलिस बयानों के संबंध में जिरह किए जाने पर भी पीड़िता ने स्पष्ट किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का ई से एफ भाग उसने लिखवाया था अजखुद कहा कि उस समय रोशन खान थाने पर था, उसने धमकाया हुआ था। इस साक्षिया के पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 के ई से एफ भाग में रोशन खान की उसके साथ दोस्ती होने, रोशन खान द्वारा गांव कठौती में उसके साथ सम्भोग नहीं किए जाने बाबत् तथ्य अंकित है। अर्थात् पीड़िता ने अपने पुलिस बयानों मे रोशन खान द्वारा उसके साथ गांव कठौती में बलात्संग किए जाने से स्पष्टतः इनकार किया है यद्यपि पीड़िता ने यह कथन किए है कि उस समय रोशन खान थाने पर था और उसने पीड़िता को धमकाया हुआ था किंतु यह तथ्य स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है कि पीड़िता ने बयान के समय थाने में पीड़िता को पुलिस व परिजनों की उपस्थिति में मुलजिम ने धमकाया हो तथा उक्त तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के भी विरोधाभासी है क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मुलजिम को सर्वप्रथम दिनांक 01.02.2017 को गिरफ्तार किया गया है जबकि पीड़िता के पुलिस बयान दिनांक 24.01.2017 को ही अर्थात् जिस दिन उसे दस्तियाब किया गया, उसी दिन उसके बयान लेखबद्ध कर लिये जाते है तथा पीड़िता के स्वयं के कथनों से यह प्रकट होता है कि उस समय उसकी मां, बहन, चाची एवं कानि. हेमी भी उपस्थित थी। पीड़िता ने यह भी कथन किए है कि उसे पुलिस वालों ने बोला था

कि निर्भिक होकर आपके साथ हुआ है, उसका कथन करो किंतु फिर भी पीड़िता रोशन खान के धमकी के प्रभाव में रही हो, यह तथ्य मानने योग्य नहीं है। इसके अलावा पीड़िता ने रोशन खान को उस दिन हिरासत में होना बताया है जबकि रोशन खान सर्वप्रथम दिनांक 01.02.2017 को गिरफ्तार हुआ है। अतः रोशन खान के हिरासत में होने एवं उसके द्वारा पीड़िता को धमकाने का तथ्य भी विश्वसनीय नहीं है।

46– इसके अलावा पीड़िता ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का हिस्सा क्यू से आर भी लिखवाए जाने बाबत् कथन किए है। अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 के क्यू से आर हिस्से में पीड़िता ने यह कथन किए है कि गांव पारड़ी में उसके साथ रोशन खान ने किसी तरह की जोर–जबरदस्ती कर सम्भोग नहीं किया था। अतः पीड़िता ने अपने पुलिस बयानों में अंकित इन तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है कि गांव कठौती एवं गांव पारड़ी में मुलजिम द्वारा पीड़िता के साथ किसी प्रकार की जोर–जबरदस्ती नहीं कर उसके साथ सम्भोग नहीं किया गया था। यद्यपि पीड़िता ने उस दिन मुलजिम के लॉक अप में उपस्थित होने एवं मुलजिम द्वारा उसे धमकाए होने के कारण उक्त बयान देने बाबत् कथन किए है लेकिन यह तथ्य स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है कि क्योंकि उस दिन मुलजिम लॉक अप में नहीं था पुलिस बयान देते समय पुलिस द्वारा पीड़िता को अपने साथ घटित घटना के संबंध में निर्भिकतापूर्वक बयान देने के लिए समझाया गया था तथा बयान के समय उसकी मां, बहन, चाची व पुलिस कानि. भी मौजूद थी।

47- साक्षी जीतूराम के बयानों से यह प्रकट होता है कि पुलिस वालों ने बाद में पीड़िता को धरा–धमकाकर उसके माता–पिता के साथ यह कहकर भेज दिया कि उसके बयान कुछ दिन बाद लेंगे। पीड़िता के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान हुए है, उसमें पीड़िता ने मुलजिम द्वारा उसके साथ बलात्संग किए जाने संबंधी तथ्यों से स्पष्टतया इनकार किया है तथा पीड़िता के न्यायालय के समक्ष जो बयान प्रदर्श पी–16 हुए है, उसमें पीड़िता ने मुलजिम द्वारा उसके साथ बलात्संग किए जाने बाबत् कथन किए है। पीड़िता के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श पी–16 दिनांक 31.01.2017 को लेखबद्ध किये गए है। उक्त बयानों में पीड़िता ने अपने साथ बलात्संग किए जाने बाबत् तथ्यों की पुष्टि की है। अतः इससे यह प्रकट होता है कि पीड़िता ने उसके पश्चात् अपने माता–पिता के प्रभाव में आकर सोच–समझकर कथन किए है जबकि पीड़िता के दस्तियाब किए जाने वाले दिन ही पीड़िता के माता, बहन एवं चाची की उपस्थिति में लिये गए बयानों में पीड़िता ने अपने साथ मुलजिम द्वारा बलात्संग किए जाने संबंधी तथ्यों की पुष्टि नहीं की है। जिससे अधिवक्ता अभियुक्त के उक्त तर्क बलपूर्ण प्रतीत होते है कि पीड़िता ने दिनांक 24.01.2017 को दस्तियाबी के दिन भी अपने पुलिस बयानों में मुलजिम द्वारा उसके साथ बलात्संग किए जाने

संबंधी तथ्यों से इनकार किया है तथा पीड़िता के पिता ने भी जिरह में स्वीकार किया है कि पीड़िता ने 10 माह बाद किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने से मना कर दिया एवं अभियुक्त की ओर से पेश साक्षी फर्द दस्तियाबी के मौतबीर जीतूराम ने भी स्पष्ट कथन किए है कि पीड़िता का पिता उसके गांव से यह कहकर ले गया था कि पीड़िता जिस व्यक्ति के साथ भागी है, उसके साथ शादी करने के लिए अड़ी हुई है, आप पीड़िता को समझाओं, तब उसने समझाने का प्रयास किया तो पीड़िता ने कहा कि वह उसी से शादी करेगी। अतः पीड़िता के दस्तियाब के तुरंत पश्चात् की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि पीड़िता के साथ जबरन बलात्संग नहीं किया गया है। जीतूराम ने स्पष्ट कथन किए है कि पुलिस वालों ने पीड़िता को डरा–धमकाकर उसको, उसके पिता के साथ यह कहकर भेज दिया कि उसके बयान कुछ दिन बाद लेंगे तथा उसके पश्चात् पीड़िता के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान दिनांक 31.01.2017 को लेखबद्ध किए जाने पर पीड़िता ने अपने माता–पिता के प्रभाव में आकर अपने साथ मुलजिम द्वारा बलात्संग किए जाने बाबत् कथन किए है।

48– इसके अलावा साक्षी शिवनारायण ने अनुसंधान अधिकारी रामपाल द्वारा दौराने हिरासत मुलजिम द्वारा दी गई धारा 27 की इत्तला प्रदर्श पी–22, पी–23 व पी–24 के अनुसरण में इत्तला की तस्दीक हेतु गांव पारडी जाकर किराये के मकान में अलमारी से पीड़िता के दो अण्डरवियर जरिये फर्द प्रदर्श पी–9 व मुलजिम रोशन की निशांदेही से बरवक्त घटना पहने हुए अण्डरवियर जरिये फर्द प्रदर्श पी–11 तथा मुलजिम की निशांदेही से फर्द नक्शा मौका घटनास्थल व बरामदगीस्थल प्रदर्श पी–14 व 06 रंगीन फोटोग्राफ मय फ्रेम जरिये फर्द प्रदर्श पी–10 जब्त किए जाने बाबत् कथन किए है। इसकी पुष्टि बरामदगी के मौतबिरान पीडब्ल्यू 08 सांवरलाल एवं पीडब्ल्यू 13 कैलाशचंद ने भी अपने बयानों में करते हुए फर्द प्रदर्श पी–9 लगायत पी–14 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

49– इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि साक्षी शिवनारायण के अनुसार मुलजिम द्वारा इत्तला अनुसंधान अधिकारी रामपाल को दौराने हिरासत दी गई थी तथा रामपाल की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है। अतः ऐसी परिस्थितियों में मुलजिम द्वारा रामपाल को स्वेच्छा से इत्तला दी गई थी, इस तथ्य को साक्षी रामपाल ही प्रमाणित करवा सकता था तथा रामपाल की साक्ष्य के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला मुलजिम द्वारा अनुसंधान अधिकारी को दी गई थी तथा उक्त इत्तला के प्रमाणित नहीं होने से उक्त इत्तला के अनुसरण में की गई बरामदगी का कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है।

50– इसके अलावा शिवनारायण ने पीड़िता के दो अण्डरवियर जरिये फर्द प्रदर्श पी–9 एवं मुलजिम का अण्डरवियर जरिये फर्द प्रदर्श पी–11 जब्त किए जाने बाबत् कथन किये गए है एवं उक्त बरामदगी जिला नागपुर के पारड़ी गांव से हुई है तथा उक्त मकान में पीड़िता एवं मुलजिम किराये पर रह रहे हो, यह तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है। इस संबंध में कोई दस्तावेज किराये बाबत् प्रदर्शित नहीं हुए है, ना ही मकान मालिक के बयान अनुसंधान अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किये गए है। चूंकि मकान मालिक न्यायालय के परीक्षित नहीं हुआ है, अतः यह तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है कि गांव पारड़ी के बरामदगीस्थल वाले मकान के कमरे में मुलजिम एवं पीड़िता किराये पर रहे हो। इसके अलावा उक्त अण्डरवियर जब बरामद किये गए तब मकान के कमरे की चाबी मुलजिम के पास नहीं थी बल्कि साक्षी सांवरलाल व कैलाशचंद की साक्ष्य के अनुसार उक्त कमरे की चाबी मकान मालिक के पास थी। इसके अलावा साक्षी कैलाशचंद ने यह भी कथन किए है कि जिस दिन वे गांव पारडी स्थित मकान पर पहुंचे उस दिन मकान, मकान मालिक के कब्जे में ही था एवं मकान मालिक ने पुलिस को बताया था कि जो किरायेदार थे, वो मकान खाली करके चले गए है इसलिए चाबी उसके पास है। अतः जिस मकान के कथित कमरे को मुलजिम द्वारा छोड़ दिया गया हो एवं उसकी चाबी भी मकान मालिक के पास हो, उस कमरे से मुलजिम एवं पीड़िता के कपड़े बरामद होने का तथ्य स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है।

51– बरामदशुदा अण्डरवियर पीड़िता एवं मुलजिम से संबंधित हो, यह तथ्य भी साबित नहीं हुआ है। पीड़िता से उक्त जब्तशुदा अण्डरवियर के संबंध में कोई शिनाख्त नहीं करवायी गई है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी–9 से बरामदशुदा अण्डरवियर उसके ही हो। इसके अलावा पीड़िता ने अपने बयानों में स्पष्ट कथन किए है कि उसने अपने कोई कपड़े पुलिस वालों को नहीं दिये तथा जब–जब रोशन ने उसके साथ सहवास किया तब वह अपने कपड़े धोती थी। अतः पीड़िता ने अपने बिना धोये हुए वीर्य लगे हुए अण्डरवियर पारडी गांव में उस मकान की अलमारी में रखे हो, जिसे वे छोड़ चुके थे, यह तथ्य भी स्वाभाविक प्रतीत नहीं होते है।

52– इसके अलावा पीड़िता ने यह भी कथन किए है कि मुलजिम ने जब भी उसके साथ सम्भोग किया है, वह अपने कपड़े धो लेती थी। इसके अलावा उक्त बरामदगी भी घटना के लंबे समय पश्चात् दिनांक 03.02.2017 को की गई है। अतः ऐसी परिस्थितियों में यह तथ्य संदेह से परे साबित नहीं होता है कि जिस स्थान से उक्त बरामदगी की गई है, उक्त कमरे में मुलजिम एवं पीड़िता किराये पर रहे हो, ना ही यह तथ्य स्वाभाविक प्रतीत होता है कि उक्त जब्तशुदा अण्डरवियर पीड़िता से संबंधित हो।

53- इसके अलावा चिकित्सकीय साक्षी अलकेन्द्र मोहन सिंह एवं विमला चारण ने एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाया है, जिसमें पीड़िता के अण्डरवियर में "बी" ग्रुप का मानव वीर्य होना पाया गया है तथा पीड़िता का रक्त ग्रुप भी "बी" होना पाया गया है लेकिन मुलजिम का रक्त ग्रुप भी "बी" रहा हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः जब्तशुदा अण्डरवियर पर जो वीर्य बरामद हुआ है, वह मुलजिम रोशन खान का हो, यह तथ्य एफएसएल रिपोर्ट से प्रमाणित नहीं होता है। इसके अलावा एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–27 में पीड़िता एवं मुलजिम के जब्तशुदा कथित अण्डरवियर पर मानव वीर्य होना प्रकट किया गया है किंतु जैसा कि उपर विवेचन किया जा चुका है कि उक्त जब्तशुदा अण्डरवियर मुलजिम एवं पीड़िता के ही हो, यह तथ्य संदेह से परे साबित नहीं हुआ है तथा उक्त अण्डरवियरों पर पाया गया मानव वीर्य मुलजिम रोशन से संबंधित हो, यह तथ्य भी संदेह से परे साबित नहीं हुआ है।

54– इसके अलावा बरामदशुदा अण्डरवियर के बरामदगीस्थल से लेकर रासायनिक परीक्षण हेतु प्रयोगशाला पहुंचने तक की लिंक साक्ष्य पूर्ण नहीं होने के कारण यह तथ्य भी संदेहास्पद है कि जब्तशुदा अण्डरवियर ही एफएसएल परीक्षण हेतु प्रयोगशाला पहुंचे हो। अतः ऐसी परिस्थितियों में चिकित्सकीय साक्षियों की साक्ष्य से भी यह प्रकट नहीं होता है कि मुलजिम द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग किया गया हो।

55– इसके अलावा साक्षी शिवनारायण ने यह भी कथन किए है कि उसने मुलजिम व पीड़िता के दिनांक 19.01.2017 से दिनांक 23.01.2017 तक जयपुर के कुबेर पैलेस होटल के कमरा नंबर 203 में बलात्संग करने संबंधी घटनास्थल की तस्दीक प्रदर्श पी–12 की थी। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त तस्दीक घटनास्थल किसी इत्तला के अनुसरण में नहीं की गई है तथा जयपुर के किसी होटल में मुलजिम द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग किया गया हो, इस संबंध में कोई इत्तला मुलजिम द्वारा अनुसंधान अधिकारी को नहीं दी गई। इसके अलावा मुलजिम एवं पीड़िता उक्त होटल में रूके हो, इस संबंध में कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ है। यद्यपि अनुसंधान अधिकारी ने होटल में मुलजिम एवं पीड़िता की प्रविष्टि संबंधित दस्तावेज जब्त किए जाने संबंधी फर्द अवश्य प्रदर्शित करवायी है लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित नहीं हुआ है जिससे यह प्रकट होता हो कि होटल में पीड़िता एवं मुलजिम रूके हो। उक्त होटल के मालिक अथवा मैनेजर के बयान अनुसंधान अधिकारी द्वारा लेखबद्ध नहीं किये गए है। अतः दिनांक 19.01.2017 से दिनांक 23.01.2017 तक मुलजिम एवं पीड़िता होटल कुबेर पैलेस

में रूके हो एवं मुलजिम द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग किया गया हो, यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

56– बलात्संग के मामलों में यह सुस्थापित विधि है कि केवल पीड़िता की सत्य, विश्वसनीय एवं सुदृढ़ साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि कायम की जा सकती है किंतु हस्तगत प्रकरण में यह प्रकट हुआ है कि पीड़िता एवं मुलजिम घटना से पूर्व से ही सम्पर्क में थे तथा उनकी आपस में फोन से बातचीत होती थी, पीड़िता के पड़ोस में मुलजिम निवास करता है तथा वह पीड़िता को इलाज हेतु नागौर एवं डीडवाना भी लेकर जाता था, पीड़िता के मुलजिम से आपस में फोन पर बात करने की बात पीड़िता के माता–पिता को पता चलने पर उक्त फोन उसके माता–पिता द्वारा तोड़ दिया गया फिर भी पीड़िता मुलजिम से बातचीत करती थी तथा पीड़िता की बहन एवं पीड़िता की चाची के बयानों से यह भी प्रकट होता है कि पीड़िता एवं मुलजिम के मध्य प्रेम–प्रसंग थे। इसके अलावा पीड़िता के साथ सर्वप्रथम किस दिनांक को बलात्संग का अपराध किया गया, यह तथ्य स्वयं पीड़िता के बयानों से प्रकट नहीं होता है तथा पीड़िता के साथ मुलजिम द्वारा जाफरी गुटका खिलाकर, उसे बेहोश करके बलात्संग किया गया यह तथ्य भी संदेहास्पद है क्योंकि गुटका पीड़िता द्वारा ही मुलजिम को अपनी दुकान से दिया गया था।

57– इसके अलावा पीड़िता द्वारा घटना के बारे में अपने माता–पिता को नहीं बताया जाना भी अभियोजन कहानी में संदेह उत्पन्न करता है जबकि मुलजिम द्वारा पीड़िता को बलात्संग के वीडियो एवं फोटोग्राफ्स सार्वजनिक करने की धमकी घटना के अगले दिन दी गई थी तथा पीड़िता ने बलात्संग के वीडियो एवं फोटोग्राफ मुलजिम द्वारा बनाये जाने बाबत् कथन किए है लेकिन ऐसा कोई फोटोग्राफ अथवा वीडियो अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्त नहीं किया गया है। इसके अलावा पीड़िता ने यह भी कथन किए है कि उसने उक्त वीडियो एवं फोटोग्राफ देखे थे लेकिन पीड़िता ने यह भी कथन किए है कि उक्त वीडियो में केवल दरी एवं सलवार–सूट पहने हुए उसकी फोटो थी। अतः उक्त फोटो को बलात्संग के संबंध में वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी होना नहीं माना जा सकता तथा उक्त वीडियो एवं फोटो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ बलात्संग किया गया हो, यह तथ्य भी स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है।

58– इसके अलावा पीड़िता ने अपने गांव में मुलजिम द्वारा कार के भीतर बलात्संग किए जाने तथा गांव पारड़ी में किराये के कमरे में नौ महीने तक बलात्संग किए जाने एवं जयपुर के कुबेर पैलेस होटल में बलात्संग किए जाने बाबत् कथन किए है लेकिन अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिम के घर में पीड़िता के साथ किये गए

बलात्संग एवं गांव कठौती में किये गए बलात्संग के संबंध में कोई नक्शा मौका नहीं बनाया गया है, ना ही इस संबंध में घटना में प्रयुक्त कार आदि को बरामद किया गया है।

59– इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि पीड़िता स्वयं ही अपने पिता के घर से डीडवाना जाती है तथा डीडवाना से मुलजिम के साथ जयपुर एवं जयपुर से नागपुर जाती है। इस दौरान पीड़िता द्वारा किसी भी व्यक्ति को यह नहीं बताया जाता है कि मुलजिम द्वारा पीड़िता को जबरदस्ती अपहरण करके ले जाया जा रहा है जबकि पीड़िता के साथ बस एवं ट्रेन में अन्य व्यक्ति भी यात्रा कर रहे थे। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि पीड़िता के अनुसार वह पारड़ी गांव में मुलजिम के साथ नौ महीने रही थी तथा इस अवधि के दौरान पीड़िता द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस बाबत् नहीं बताया जाता है कि मुलजिम उसका जबरदस्ती व्यपहरण/अपहरण करके लाया है एवं जबरदस्ती उसके साथ बलात्संग कर रहा है जबकि स्वयं पीड़िता के कथनों से यह प्रकट होता है कि जब पीड़िता डीडवाना से रवाना हुई थी, वहां से लेकर जब वह वापिस नारायण फांटे जयपुर तक पहुंची, तब तक उसके पास मोबाइल फोन था, जो राजिक छीनकर ले गया था। अतः फोन पर भी उक्त घटना के संबंध में अपने परिजनों को बता सकती थी लेकिन पीड़िता द्वारा उपरोक्त तथ्य नहीं बताए जाने से यह नहीं माना जा सकता कि पीड़िता को धमकी के प्रभाव में लेकर तथा भय दिखाकर पीड़िता के साथ बलात्संग किया गया है क्योंकि पीड़िता के बलात्संग के संबंध में कोई वीडियो एवं फोटोग्राफ बरामद नहीं हुए है तथा जिस वीडियो के संबंध में पीड़िता कथन कर रही है, उसमें कोई अश्लीलता हो, ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है बल्कि पीड़िता के अनुसार उसमें केवल पीड़िता की सलवार–सूट पहने हुए एक फोटो दिखाई दे रही है। अतः ऐसी परिस्थितियों में पीड़िता को उक्त वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लेकमैल किया गया हो, यह तथ्य स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। पीड़िता के पूर्व में मुलजिम के साथ संबंध एवं उसके पश्चात् इतनी लंबी अवधि तक पीड़िता के मुलजिम के साथ रहने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि पीड़िता की सहमति के बिना मुलजिम द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग किया गया हो।

60– इसके अलावा जीतूराम ने स्पष्ट कथन किए है कि पीड़िता के पिता उसे गांव से यह कहकर ले गए थे कि पीड़िता मुलजिम के साथ ही शादी करना चाहती है, जीतूराम द्वारा भी पूछने पर पीड़िता द्वारा भी यहीं बताया गया कि वह मुलजिम के साथ ही शादी करना चाहती है तथा पीड़िता के पिता ने यह भी स्वीकार किया है कि पीड़िता जिस दिन वापिस आई, उस दिन उसने किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया था। उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते है कि पीड़िता अपनी सहमति से मुलजिम के साथ गई थी। इसके अलावा पीड़िता के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता

के बयान दिनांक 24.01.2017 को लेखबद्ध किये गए है अर्थात् पीड़िता को जिस दिन दस्तियाब किया गया, उसी दिन पीड़िता के बयान लेखबद्ध किये गए, जिसमें पीड़िता ने मुलजिम द्वारा उसके साथ कठौती गांव में एवं पारड़ी गांव में बलात्संग किए जाने संबंधी तथ्यों से स्पष्टतया इनकार किया है यद्यपि पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह कथन किए है कि उक्त बयान उसने दबाव में दिए थे क्योंकि उस समय मुलजिम हिरासत में था जबकि उस समय मुलजिम हिरासत में नहीं था तथा उसके कई दिन पश्चात् मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा पीड़िता के कथनों से यह भी प्रकट होता है कि पुलिस वालों ने उसे भयमुक्त होकर निर्भिक रूप से बयान देने के लिए कहा था तथा उक्त बयानों के समय उसकी चाची, बहन व माता मौके पर उपस्थित थी तथा पुलिस कानि. हेमी भी उपस्थित थी। अतः उक्त साक्षियों की उपस्थिति में किसी धमकी अथवा भय में आकर पीड़िता ने बयान दिए हो, यह तथ्य भी मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी परिस्थितियों में यदि पीड़िता के इन कथनों को साबित मान लिया भी जावें कि पीड़िता के साथ मुलजिम द्वारा सम्भोग किया गया है तो यह तथ्य साबित नहीं होता है कि उक्त संबंध पीड़िता की सहमति के बिना मुलजिम द्वारा बनाये गए है।

61- इसके अलावा मुलजिम पर धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का भी अभियोग है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अनुसंधान अधिकारी मनोज माचरा ने पीड़िता की आयु के संबंध में दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाते हुए पीड़िता की जन्म तिथि 19.04.1995 होना बतायी है तथा प्रधानाध्यापक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कठौती द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–25 एवं प्रधानाचार्य श्री मूलाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कठोती द्वारा जारी अध्ययन प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–26 के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 19.04.1995 होना प्रकट होता है। इसके अलावा फर्द दस्तियाबी एवं फर्द सुपुर्दगी पीड़िता तथा पीड़िता के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों से भी यह प्रकट होता है कि बरवक्त घटना पीड़िता बालिग थी अर्थात् 18 वर्ष की आयु से ऊपर की थी। अतः ऐसी परिस्थितियों में पीड़िता का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण किया गया हो, यह तथ्य भी साबित नहीं होता है।

62– इसके अलावा पीड़िता के साथ अयुक्त सम्भोग करने के लिए अथवा विवाह करने हेतु विवश करने हेतु व्यपहरण/अपहरण किया गया हो, यह तथ्य भी साबित नहीं हुआ है क्योंकि यह तथ्य प्रकट हुआ है कि पीड़िता जानबूझकर स्वयं शैक्षणिक दस्तावेज लेकर पीड़िता एवं मुलजिम ने फोन पर सम्पर्क करके मुलजिम के साथ गई है। इसके अलावा मुलजिम द्वारा पीड़िता का साशय परिरोध किए जाने का तथ्य भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः ऐसी परिस्थितियों में

सम्पूर्ण अभियोजन संदेहास्पद हो जाती है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ निश्चित रूप से मुलजिम को दिया जाना चाहिए।

63– अतः उपर्युक्त समग्र विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि मुलजिम दिनांक 04.04.2016 को वक्त 11:00 बजे या उसके आस–पास मौजा कठौती में आहता, जो कि वक्त घटना नाबालिग थी, को उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से हटाकर ले गया तथा आहता को विवाह करने/अयुक्त सम्भोग करने हेतु विवश करने के आशय के अग्रसरण में उसका व्यपहरण कर लिया तथा गुप्त स्थान गांव पारडी ले जाकर इस आशय से उसका सदोष परिरोध किया कि उक्त परिरोध के स्थान की जानकारी पीड़िता के किसी हितबद्ध व्यक्ति या लोकसेवक को नहीं हो पाए एवं दिनांक 04.04.2016 से 2–3 माह पूर्व से लेकर दिनांक 23.01.2017 तक उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्भोग करते हुए बलात्संग किया। अतः अभियुक्त रोशन को अपराध अंतर्गत धारा 363, 366, 346, 376 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

–ः <u>आदेश</u> ःः–

64– परिणामतः अभियुक्त रोशन खान पुत्र हुसैन खान, उम्र–34 साल, निवासी कठौती, पुलिस थाना जायल, जिला नागौर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 363, 366, 346, 376 भारतीय दंड संहिता के आरोप में संदेह के आधार पर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।अभियुक्त की ओर से पूर्व में अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

65– अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, 10,000/– रूपये का स्वयं का बंधपत्र एवं इसी राशि की एक जमानत, निर्णय की दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए अथवा अपील होने की स्थिति में अपील की अवधि तक के लिए प्रस्तुत कर तस्दीक कराए।

66– प्रकरण में फर्द जब्ती अनुसार जब्तशुदा वजह सबूत अण्डरवियर, फोटो फ्रेम, फोटो व स्टीकर का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट कर दिए जावें।

67– प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत पीड़िता को प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंषा किया जाना न्यायोचित नहीं है।

(लक्ष्मण राम बिश्नोई)
अपर सेशन न्यायाधीश,जायल
जिला नागौर

68- निर्णय एवं आदेश आज दिनांक **30.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

(लक्ष्मण राम बिश्नोई)
अपर सेशन न्यायाधीश,जायल
जिला नागौर